बिहार विधान सभा सचिवालय

की

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

का

29वाँ प्रतिवेदन

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित)

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा सचिवालय
(अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति शाखा, पटना)
2012

(सदन में उपस्थापित करने की तिथि ......4/4/2012......... ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
(1) प्राक्कथन	'क'
(2) मुख्य समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची	'ख'
(3) प्रतिवेदन	1-8
(4) समिति की निष्कर्ष	9
(5) समिति की अनुशंसा	10
(6) परिशिष्ट-(1)	11-21
(7) परिशिष्ट-(2)	22-43

प्राक्कथन

बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की वर्ष 2011-12 की सभापति के हैसियत से मैं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र, छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के रख-रखाव एवं देय सुविधाओं के संबंध में कल्याण विभाग पर समिति का 29वाँ प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र, छात्राओं को विद्यालयों में दी जानेवाली छात्रवृत्ति एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र, छात्राओं को रख-रखाव एवं देय सुविधाओं के संबंध में समिति ने गहन अध्ययन एवं राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन यात्रा तथा कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के साथ बैठक में विचार-विमर्श किया है ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं की आर्थिक समस्याऐं, रहन-सहन से संबंधित जीवन स्तर तथा सरकार द्वारा उनके बच्चों को शिक्षा से संबंधित दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधाओं पर अपना मंतव्य देकर उनके समस्याओं का समाधान किया है । प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2012 की मुख्य समिति की बैठक में मौलिक रूप में स्वीकार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है, जिनकी प्रेरणा से इस प्रतिवेदन को उपस्थापित किया जा सका ।

समिति को प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों ने जिस अभिरूचि और तत्परता का परिचय दिया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

प्रथम खंड में प्राक्कथन एवं समिति के माननीय सदस्यों की सूची, द्वितीय खंड में प्रतिवेदन तथा तृतीय खंड में प्रासंगिक परिशिष्ट है । इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सभा सचिवालय के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहयोग दिया है, उसके लिये समिति उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है तथा समिति विभागीय पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती है । जिन्होंने अपेक्षित सूचना देकर प्रतिवेदन के लिए सामग्रियां प्रस्तुत की है ।

पटना:-
दिनांक:-

रमेश ऋषिदेव
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के माननीय सदस्यों की सूची :-
2011-12

1.	श्री रमेश ऋषिदेव	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री रामेश्वर पासवान	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री इन्द्रदेव मांझी	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री कृष्णनन्दन पासवान	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्रीमती ज्योति देवी	स०वि०स०	सदस्या
7.	श्री अरूण मांझी	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री श्यामदेव पासवान	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री सुरेश चंचल	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री संजय कुमार	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री श्याम बिहारी राम	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्रीमती अमला देवी	स०वि०स०	सदस्या
13.	श्री रामानन्द राम	स०वि०स०	सदस्य
14.	श्री अमन कुमार	स०वि०स०	सदस्य
15.	श्री सोनेलाल हेम्ब्रम	स०वि०स०	सदस्य
16.	श्री शिवेश कुमार	स०वि०स०	सदस्य
17.	श्री शशिभूषण हजारी	स०वि०स०	सदस्य

बिहार विधान सभा सचिवालय

1. श्री लक्ष्मीकान्त झा, प्रभारी सचिव
2. श्री राजकुमार रजक, उप सचिव
3. श्री मोहन झा, अवर सचिव
4. श्री बिनोद कुमार यादव, वरीय लिपिक
5. श्री विजय कुमार गोंड, कनीय लिपिक

प्रतिवेदन

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (ग) के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति कार्यरत है । इस समिति का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है । समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए चलाये जा रहे अनेक योजनाओं के संबंध में कल्याण विभाग, बिहार सरकार के साथ-साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विशेष रूप से सम्परीक्षण करती है ।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दलित एवं महादलित के छात्र एवं छात्राओं एवं व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा अनेकों योजनाएँ चलाई जा रही है । समिति यह महसूस करती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-2006 में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कुल 4048.36 लाख रूपये का उद्व्यय रखा गया था, जबकि वर्ष 2011-12 में उद्व्यय कुल 36128.15 लाख रूपये किया गया है ।

स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र निर्माताओं के द्वारा भारत को लोकतांत्रितक गणराज्य का स्वरूप प्रदान किया गया एवं इसे सुनिश्चित करने हेतु संविधान में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया । परन्तु भारतीय समाज की संरचना एवं उसमें व्याप्त जातिगत विभेद एवं असमानता की स्थिति को देखते हुए संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से निर्देश दिया गया कि इसे समाप्त करने की दिशा में कठोर कदम उठाये जाये एवं जो वर्ग सदियों से उपेक्षित एवं शोषित है, उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जायें । भारत के संविधान में राज्य के प्रत्येक व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा को बनाये रखने का प्रावधान किया है । संविधान में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है ।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रवृत्ति योजना के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन एवं कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

संविधान में समावेशित इन्हीं मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति हेतु राजकीय संगठन की संरचना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है । इस समुदाय में मुख्यत: सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आते हैं । अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को मूलत: इन्हीं वर्गों के बहुमूखी विकास हेतु निरूपित किया गया है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक निदेशालय कार्यरत है । राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याणार्थ चलाई जा रही

योजनाओं का कार्यान्वयन इन निदेशालय के द्वारा की जा रही है । इन वर्गों के लिये निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :-

क्रम सं०	अनुसूचित जाति के लिए योजनाएँ	क्रम सं०	अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएँ
1.	आवासीय विद्यालय	1.	आवासीय विद्यालय
2.	छात्रवृत्ति योजना	2.	छात्रवृत्ति योजना
3.	पुस्तक अधिकोष	3.	पुस्तक अधिकोष
4.	अत्याचार निवारण	4.	अत्याचार निवारण योजना
5.	छात्रावास योजना	5.	छात्रावास योजना
6.	वैधिक सहायता	6.	आधारभूत संरचना योजना
7.	मुख्यमंत्री मेधावृति योजना	7.	मुख्यमंत्री मेधावृति योजना
8.	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	8.	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना
9.	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	9.	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र
10.	मेरिट उन्नयन योजना	10.	थरूहट विकास योजना
11.	बालिका पोशाक योजना	11.	बालिका पोशाक योजना
12.	परीक्षा शुल्क में प्रतिपूर्ति योजना	12.	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना
13.	महादलित विकास योजना	13.	शोध कार्य
14.	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास	14.	जनजाति उप योजना
15.	अनुसूचित जाति उप योजना	15.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी योजना अधिनियम 2006 एवं नियम-2007
16.	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के लिये 5% अनुदान योजना		

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम इन योजनाओं के जिला में कार्यान्वयन किया जा रहा है या नहीं इसकी देख-रेख एवं जानकारी हेतु बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति समयानुसार राज्य के अंदर स्थल भ्रमण कर निरीक्षण करती है, तथा निरीक्षण के क्रम में अन्य योजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों को खास तौर से निरीक्षण किया जाता है । निरीक्षण के क्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये शिकायतों को दूर करने का समिति कार्य करती है, समिति अभी हाल में ही दिनांक 25.01.2011 से 03.02.2011 तक राज्य के स्थल अध्ययन यात्रा दल-I, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया एवं कटिहार तथा स्थल अध्ययन यात्रा दल-II, वैशाली, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों के निम्नलिखित आवासीय विद्यालयों का जाँच समिति द्वारा किया गया । यात्रा से संबंधित पत्र **परिशिष्ट-1** पर देखा जा सकता है ।

समिति जब जिला अवस्थित अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों की जाँच की तो निम्नलिखित तथ्य समिति के सामने आई जो **परिशिष्ट-2** पर जिलावाईज अंकित है । साथ ही उक्त स्थल अध्ययन यात्रा दल-1 एवं 2 के स्थल निरीक्षण के क्रम में समिति ने जो देखा वह निम्न प्रकार है :

दिनांक 25.01.2011 से 03.02.2011 तक राज्य के अंदर बेगूसराय आवासीय विद्यालय भर्रा का जब स्थल निरीक्षण किया गया तो समिति ने पाया कि उक्त विद्यालय में शिक्षक की कमी देखी गई साथ ही वहाँ छात्र/छात्राओं को पढ़ने-लिखने में रौशनी की व्यवस्था के लिये वहाँ मौजूद डी०डी०सी० को समिति ने सोलर लाईट एवं सोने के लिये चौकी की व्यवस्था शीघ्र कराने का समिति ने निर्देश दिया था ।

साथ ही उक्त विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित करने हेतु भी समिति ने निर्देश दिया था ।

दिनांक 27.01.2011 को सहरसा जिला के स्थल निरीक्षण के दौरान समिति राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय अभर का स्थल निरीक्षण किया गया तो समिति ने देखा की साथ ही बच्चों ने शिकायत की थी कि वहाँ दोनों टाईम खाना में चावल दिया जाता है । समिति ने जब उक्त विद्यालय के उपस्थिति पंजी जाँच की तो पाया गया कि वहाँ 251 छात्र का नामांकन है । परन्तु उस वक्त 170 छात्र ही वहाँ मौजूद थे । साथ ही उक्त विद्यालय में रोज 3 घंटी ही क्लास ली जाती है, जबकि वहाँ कुल 10 शिक्षक हैं इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को समिति ने आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया ।

दिनांक 02.02.2011 को पूर्णिया जिला के स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में समिति जब राजकीय छात्रावास बैद्यनाथपुर का स्थल निरीक्षण किया तो समिति को जानकारी मिली की छात्रावास का अपना भवन बनकर तैयार है, परन्तु उसे स्थानान्तरण नहीं किया गया है, को स्थानान्तरित करने हेतु समिति स्थानीय पदाधिकारियों का निर्देश दिया । विद्यालय का रख-रखाव ठीक नहीं था साथ ही छात्रों ने समिति को जानकारी दी कि यहाँ दो रसोईया है, परन्तु एक रसोईया जिला कल्याण पदाधिकारी के आवास पर काम करता है, इस पर समिति ने D.W.O. को निर्देश दिया कि आप एक रसोइया कंट्रेक्ट पर बहाल करें तथा विशेष अंगीभूत योजना के तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है छात्रों को लेकिन अभी तक छात्रवृति का भुगतान उन छात्रों को नहीं किया गया है तथा दिनांक 03.02.2011 को कटिहार जिला के स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान कटिहार आवासीय विद्यालय का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया, तो वहाँ समिति ने महसूस किया कि उक्त विद्यालय में रख-रखाव एवं पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं था, वहाँ मौजूद जिला कल्याण पदाधिकारी को इन सारी सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु समिति ने निर्देश दिया है ।

साथ ही दिनांक 25.01.2011 से 03.02.2011 तक राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा दल-2, हाजीपुर जिला के स्थल अध्ययन यात्रा दिनांक 25.01.2011 को कन्या आवासीय विद्यालय दीघी का स्थल निरीक्षण किया गया तो समिति ने पाया कि उक्त विद्यालय में क्लास रूम की कमी थी, तथा डेस्क बेंच कम थे, तथा बच्चों का खाना मिनू के अनुरूप नहीं मिलता है, साथ ही रसोईया कभी-कभी आता है । वैसी परिस्थिति में छात्र छात्राओं को अपने से खाना बनाना पड़ता है । इन सारी बातों की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों को समिति ने दिया तथा सुधार हेतु निर्देश दिया । तथा दिनांक 28.01.2011 को बेतिया (प०च०) के स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में समिति जब अम्बेदकर जगजीवन छात्रावास का निरीक्षण किया तो पाया गया कि वहाँ हॉस्टल में मेस की व्यवस्था नहीं थी, तथा पेयजल एवं शौचालय

का अभाव था । साथ ही वहाँ कोई सफाई कर्मी भी नहीं रहते हैं । इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु समिति ने जिला कल्याण पदाधिकारी बेतिया को निर्देश दिया । तथा दिनांक 28.01.2012 को ही समिति शाम में जब मोतिहारी जिला (पूर्वी चम्पारण) पहुँची तो अम्बेदकर छात्रावास का निरीक्षण किया, वहाँ एक कमरे में चार छात्र रहते हैं जबकि नया छात्रावास में दो छात्र रहते हैं । छात्रावास में स्वीपर नहीं है, पेयजल की घोर समस्या है । चूँकि वहाँ का मोटर उस समय खराब था, वहाँ के छात्राओं ने समिति को जानकारी दी कि यहाँ के D.W.O. छात्रवृत्ति देने में आना-कानी करते हैं, जिसके कारण छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलता है । वहाँ शौचालय की संख्या 10 है परन्तु उस वक्त 2 ही शौचालय चालू थे, बाकी सभी खराब थे । इन सारी सुविधाओं को देने हेतु वहाँ मौजूद अधीक्षक को समिति ने निर्देश दिया है ।

दिनांक 31.01.2011 को सीतामढ़ी जिला के यात्रा के दौरान समिति जब आवासीय उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया तो पाया कि विद्यालय में हरेक विषयावार शिक्षक नहीं थे, इस विद्यालय में विज्ञान, गणित केमेस्ट्री एवं इतिहास के शिक्षक नहीं रहने के कारण छात्र, छात्राएँ नहीं पढ़ पाते हैं । यहाँ खाना में छात्रों को दोनों समय चावल दिया जाता है रोटी नहीं । जिसकी शिकायत वहाँ के छात्रों ने समिति को दी साथ ही छात्रों ने यह भी बतलाया कि प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी अधीक्षक है लेकिन एक दिन भी स्कूल में नहीं आते हैं ।

दिनांक 02.02.2011 को मधुबनी जिला के स्थल निरीक्षण के क्रम में समिति जब बालिका आवासीय विद्यालय मधुबनी का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ शौचालय में खिड़की नहीं है तथा स्नानघर एक भी नहीं है । यहाँ सफाई व्यवस्था एकदम खराब है । यहाँ ड्रेनेज की घोर समस्या है, तथा राजकीय अम्बेदकर उच्च विद्यालय रामनगर का जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ छात्रों ने समिति को बतलाया कि दोनों समय खाना में चावल ही दिया जाता है । साथ ही कस्तुरबा गाँधी विद्यालय झंझारपुर का निरीक्षण किया गया तो वहाँ के सफाई कर्मी की कमी देखी गई ।

समिति राज्य के अन्दर दिनांक 21.06.2011 को आरा (भोजपुर) जिला के स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान समिति जब अम्बेडकर छात्रावास, कतिरा-2 का स्थल निरीक्षण किया तो देखा की यहां के शौचालय ठीक नहीं थे साथ ही हरेक कमरे में दिवाल का प्लास्टर टुटा हुआ पाया गया साथ ही छत से छड़ दिखाई देता था, जो कभी भी दुर्घटना घट सकती है इसकी जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी आरा को समिति ने निर्देश दिया ठीक कराने हेतु साथ ही उक्त तिथि को ही आरा स्थित चॉदी छात्रावास का भी निरीक्षण किया गया वहां विभाग के द्वारा किराया के मकान में छात्रावास चलाया जाता है इसका किराया 45 हजार रूपये दिया जाता है । इस छात्रावास का अपना भवन बन रहा है जिसको यथा शीघ्र नये अपना छात्रावास में शिफ्ट कराने हेतु समिति जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया । साथ ही समिति को कतिरा छात्रावास के छात्र-छात्राओं ने जानकारी दिया कि हम लोगों को पुराने छात्रावास में ही रखा गया है जो जीर्ण अवस्था में है इस पर भी समिति ने जल्द नये भवन में शिफ्ट कराने हेतु कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया । उक्त तिथि को ही समिति ने अम्बेडकर छात्रावास मौलाबाग नं०-1 का भी स्थल निरीक्षण किया तो समिति ने देखा की छात्रावास का रख रखाव ठीक नहीं था । छत टुटा हुआ पाया गया समिति को जानकारी मिली की भवन निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को राशि दी गई है लेकिन

भवन निर्माण द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है इस पर समिति ने संबंधित पदाधिकारियों को देखने हेतु निदेश दिया ।

दिनांक 22.06.2011 को बक्सर जिला के स्थल निरीक्षण के दौरान समिति जब अनु० जाति आवासीय विद्यालय पाण्डेय पट्टी का स्थल निरीक्षण किया तो देखा की यहां के छात्र छात्राओं को एन०जी०ओ० के द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसमें रात में भी सालो भर चावल दिया जाता है जिसपर बच्चों ने समिति के सामने अपना दु:ख प्रकट किया साथ ही छात्रों ने यह भी बतलाया की यहां कॉपी-किताब भी नहीं दिया जाता है ।

दिनांक 23.06.2011 को कैमूर (भभूआ) का स्थल निरीक्षण किया गया वहां अनु० जाति आवासीय विद्यालय भभुआ का नया भवन बना है लेकिन वायरिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्र बल्ब जलाने के लिए बाहर से तार खिंचकर लाये थे, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है । समिति ने वायरिंग कराने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया ।

दिनांक 26.06.2011 को रोहतास जिला-सासाराम के बी०आर० अम्बेदकर आवासीय छात्रावास तकिया का स्थल निरीक्षण किया यहां 50 छात्र छात्रावास में रहते हैं यहां के छात्रावासों के कमरों में पंखा नहीं था तथा मकान का व्हाईट वाशिंग कराने हेतु समिति ने निदेश दिया जिला कल्याण पदाधिकारी को तथा उक्त तिथि को ही समिति अत्यंत पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास, सासाराम का निरीक्षण किया उस समय श्रीमती लीला कुमार होस्टल सुपरीटेंडेंट उपस्थित थी, वहां के सफाई कर्मी ने बतलाया की हमारा वेतन बकाया है यहां खाना मिनू के अनुसार दिया जाता है जैसा की छात्राओं ने बतलाई इस छात्रावास में भोजन का काम श्री जितेन्द्र कुमार, आरा इन्टरप्राइजेज एन०जी०ओ० को दिया गया है । यहां के स्टोर रूम समिति ने देखा चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसको देखने हेतु समिति ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया ।

दिनांक-26.06.2011 को औरंगाबाद जिला के अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया यहां के आवासीय विद्यालयों में अभिजित टडर्स एन०जी०ओ० के द्वारा भोजन सप्लाई किया जाता है जो बहुत ही घटिया भोजन दिया जाता है । समिति ने एन.जी.ओ. का रजिस्ट्रेशन रद्द करने हेतु निदेश दिया । समिति इसे गंभीरता से लिया और उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

दिनांक-29.06.2011 को जहानाबाद भीमराव अम्बेदकर छात्रावास का निरीक्षण किया गया वहां पंखा एवं वायरिंग की घोर समस्या देखी गई साथ ही शहर की ग्रिड से छात्रावास का बिजली जोड़ने हेतु समिति ने निदेश दिया तथा भवन की मरम्मती का कार्य हेतु भी समिति ने निदेश दिया ।

दिनांक-22.06.2011 को नवादा जिला के अम्बेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान समिति ने देखा कि प्लास्टर में क्रैक पाया गया है । अधूरे कामों को राशि आते ही पूरा करने की बात कार्यपालक अभिन्ता भवन ने पूरा करने की बात कही है ।

जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि यह छात्रावास 1988 का ही है और 100 का स्ट्रेन्थ है, इसको 200 कराया जाय ।

समिति ने सुरक्षा के लिए चहारदीवारी का निर्माण करने हेतु कार्यापालक अभियंता भवन को निदेश दिया । कार्यपालक अभियंता भवन ने सामिति को बताया कि राशि आते ही करा दिया जाएगा ।

दिनांक 27.06.2011 को भागलपुर जिला के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, कम्पनी बाग का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान समिति ने देखा कि मिट्‌टी तेल के अभाव में जेनेरेटर नहीं चलता है । रसोईया के अभाव में सभी छात्रों को दोनों समय चावल ही दिया जाता है ।

दिनांक 29.06.2011 को मुंगेर जिला के बालिका आवासीय विद्यालय सदर प्रखंड मुंगेर का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान समिति ने देखा कि दोनों समय चावल दिया जाता है और मीनू के अनुसार खाना पीना नहीं दिया जाता है ।

दिनांक 29.06.2011 को मुंगेर जिला के कल्याण छात्रावास, मुंगेर का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान समिति ने देखा कि यहां कोई खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला नहीं है । शौचालय, वाथरूम टूटा हुआ है । वायरिंग नहीं है । जिला कल्याण पदाधिकारी सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं किये है । खाना ये लोग अपने बनाते हैं ।

साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति राज्य के अन्दर दिनांक 05.01.2012 से 14.01.2012 तक सभा सचिवालय के पत्रांक 2451, दिनांक 14.12.2011 के माध्यम से दिनांक 08.01.2012 को सहरसा जिला के स्थल निरीक्षण के दौरान समिति जब अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, अमरपुर का निरीक्षण किया तो पाया की वहाँ सफाई की समस्या गंभीर थी, वहाँ के छात्र, छात्राएँ ही स्कूल की सफाई करते है । समिति जिला कल्याण पदाधिकारी एवं गणेश प्रसाद यादव, हेड मास्टर को निदेशित किया की एक सफाई कर्मचारी को तत्काल इस आवासीय विद्यालय में रखा जाय ।

समिति दिनांक 10.01.2012 को सुपौल जिला के स्थल निरीक्षण के दौरान समिति जब वमभोला आवासीय मध्य विद्यालय, वसहा, लिटिहाही का निरीक्षण किया गया तो समिति पाया की उस विद्यालय में कुल सीटों की संख्या 100 है, परन्तु उस समय 97 छात्र ही उपस्थित है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त विद्यालय के छात्र, छात्राएँ एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के छात्र छात्राएँ भी बगल के मध्य विद्यालय में पढ़ने जाते है । साथ ही उक्त तिथि को ही राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका विद्यालय, त्रिवेणीगंज का निरीक्षण किया गया वहाँ के प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई की इस विद्यालय का देख रेख प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के जिम्में है, उन्होने समिति को जानकारी दी की यहाँ मात्र तीन शिक्षक ही कार्यरत है, इसमें महिला शिक्षिका नहीं है । समिति ने पाया की उक्त विद्यालय में बिजली नही है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परन्तु बगल में ही बिजली का तार है, ऐसी परिस्थिति में समिति D.W.O. को स्कूल में तत्काल बिजली आपूर्ति हेतु निदेश दिया है ।

दिनांक 11.01.2012 को समिति अपने स्थल निरीक्षण के दौरान जब अररिया जिला के फारबिसगंज अनुसूचित जाति / जनजाति आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो वहाँ के छात्र छात्राएँ समिति को जानकारी दी है कि क्लास रूम के बाहर की सफाई की जाती है, अन्दर नहीं, छात्र मनोज कुमार, वर्ग-7 ने समिति को बतलाया की इस विद्यालय में मात्र 4 घंटी ही पढ़ाई होती है । यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को जानकारी दी है कि छात्रों का एकाउण्ट अभी नही खुल पाया है । जिसके कारण तेल साबुन खरीदकर दिया जाता है । साथ ही उक्त विद्यालय में नाईट गार्ड की व्यवस्था है । समिति उक्त विद्यालय के भवनों को क्षतिग्रस्त पाया, समिति इसकी मरम्मति हेतु समुचित निदेश कल्याण पदाधिकारी को दिया ।

दिनांक 12.01.2012 को किशनगंज जिला के अनुसूचित जाति विद्यालय (नवनिर्मित) का निरीक्षण किया तो देखा की उक्त विद्यालय में 400 छात्र है, परन्तु 100 बेड का कमरों का निर्माण कराया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में बाकी बच्चों को पुराने आवासीय विद्यालय में ही रहना पड़ेगा, समिति सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया की जब जमीन यहा उपलब्ध है तो सभी बच्चों को रहने के लिये कमरे का निर्माण कराना चाहिए ।

तब जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को जानकारी दिये की यहाँ 10 अतिरिक्त कमरे के लिये विभाग को पत्र लिखा गया है, तब समिति भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को इस पर समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया ।

दिनांक 13.01.2012 को पूर्णिया जिला के स्थल निरीक्षण के दौरान समिति जब राजकीय एस०टी०आर०, हाई स्कूल बनमनखी बुढ़िया का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान समिति ने पाया की वहाँ के छात्र गुड्डू कुमार राम एवं छोटे कुमार उराँव वर्ग-3 के छात्र है वे ही क्लास की सफाई करते है । इस विद्यालय में तीन रसोईया है, फिर भी बच्चों को दोनों टाईम खाना में चावल दिया जाता है, रोटी नहीं । बच्चों ने समिति को जानकारी दिया की विद्यालय से महीना में 2 ओ०के० साबून एवं एक लाईफव्याय साबून और ब्रस दिया जाता है । समिति इस पर गंभीरता से लेते हुए उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी को नियमानुसार प्रति माह नगद राशि का भुगतान करने हेतु निदेश दिया है ।

दिनांक 13.01.2012 को समिति कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय धीमा, बनमनखी का निरीक्षण किया निरीक्षण में समिति ने पाया की इस विद्यालय में 100 बच्चियों (छात्राएँ) नामांकित है परन्तु उस समय 63 बच्चिया (छात्राएँ) ही उपस्थित थी । वर्ग-6 एवं वर्ग-10 तक की पढ़ाई के लिये यहाँ की छात्राएँ बगल के राजकीय विद्यालय में जाती है । समिति ने महसूस किया की इस विद्यालय में चूँकि बच्चियाँ पढ़ती है इस लिये इस विद्यालय में चाहरदीवारी का रहना जरूरी है, जिला कल्याण पदाधिकारी को समिति निर्देश दिया की इस पर अग्रेत्तर कार्रवाई करे ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास के लिये कई योजनाएँ चलाई जा रही है । ये योजनाएँ राज्य सरकार के पदाधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वियन होता है । राज्य के हरेक आवासीय विद्यालयों में सरकार द्वारा दिये गये सुविधाओं को ससमय नामांकित बच्चे एवं बच्चियों को मिल सके । ये सारी जिम्मेवारी जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपी गई है, उन्हीं के देख-रेख में सारे कार्य कार्यान्वियन होना है ।

आवासीय विद्यालयों में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वहां नामांकित बच्चे एवं बच्चियों की उपस्थिति रजिस्टर पर 100% उपस्थिति दर्ज कर दिया जाता है, परन्तु जब कभी भी समिति जिला के स्थल भ्रमण के दौरान निरीक्षण के क्रम में जाती है तो वहाँ उपस्थित छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति कम ही पाई जाती है, ये इसलिये किया जाता है कि ताकि पोषाहार मद की राशि को जो बच्चे-बच्चियाँ नहीं है, उनके नाम पर निकाला जा सके । ये सारी गड़बड़ी पदाधिकारियों के मिलीभगत से हो पा रहा है । समिति के स्थल भ्रमण के दौरान आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में छात्र एवं छात्राओं द्वारा अनेकों शिकायत मिली जैसे, आवासीय विद्यालयों के छात्रों को दिन एवं रात्रि के भोजन में चावल दिया जाना, हरा साग-सब्जी नहीं दिया जाना, पोशाक समय अनुसार नहीं मिलना, छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिना तथा

रहन-सहन में दिक्कतों का सामना करना इत्यादि शामिल है । समिति इन शिकायतों को देखने एवं सुनने के पश्चात् यात्रा के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों को शिकायतों को निपटारा करने हेतु निदेशित करती है साथ ही जिला अतिथि गृहों की बैठकों में जिलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को अवगत कराते हुए शिकायत दूर करने हेतु निदेशित किया जाता है साथ ही समिति समय-समय पर बिहार विधान सभा में समिति के बैठक का आयोजन कर मुख्यालय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला के आवासीय विद्यालयों को सुव्यवस्थित करने हेतु कार्रवाई करने को निदेश देती है, अभी हाल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति सभा सचिवालय के पत्र संख्या 962, दिनांक 16 मई, 2011 तथा पत्र संख्या 1097 दिनांक 30 मई, 2011 के माध्यम से बैठक का आयोजन कर विभाग के माध्यम से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है तथा उक्त बिन्दू से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन विभाग से माँगी गई । विभागीय प्रगति प्रतिवेदन परिशिष्ट-II पर देखा जा सकता है ।

समिति का निष्कर्ष

बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति राज्य के विभिन्न जिलों का स्थल अध्ययन यात्रा की उक्त स्थल अध्ययन यात्रा कतिपय निम्न बिन्दू समिति के संज्ञान में आया जिसका जिलावार जाँच के क्रम में पूर्व में उल्लेख कर दिया गया है । आवासीय विद्यालय भर्रा में शिक्षकों की कमी देखी गई, साथ ही सहरसा एवं पूर्णियाँ जिलों के आवासीय विद्यालय में मिनू के अनुरूप बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है, से संबंधित कमी पाई गई तथा हाजीपुर जिला के कन्या आवासीय विद्यालय, दिघी में छात्रों के पठन-पाठन के लिये क्लास रूम एवं बेंच-डेस्क की कमी देखी गई । साथ ही बच्चे अपने से खाना बनाने को विवश हैं, क्योंकि वहाँ रसोईयों की कमी थी तथा बेतिया जिला के जगजीवन छात्रावास के निरीक्षण के क्रम में हॉस्टल में मेस, शौचालय, पेयजल आपूर्त्ति की कमी देखी गई तथा सीतामढ़ी जिला के स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान आवासीय विद्यालय में हरेक विषयवार शिक्षकों की कमी पाई गई तथा छात्रों को भोजन में दोनों समय चावल खिलाया जाता है, से संबंधित कमी देखी गई । साथ ही समिति अपने राज्य के अंदर की यात्रा में सभी आवासीय विद्यालयों में भोजन की शिकायत रख-रखाव की शिकायत एवं विद्यालय भवन की कमी देखी गई ।

समिति की अनुशंसा

1. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित सभी योजनाओं को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना तथा पूर्णरूपेण लागू करना तथा नियम का उल्लंघन करने वाले दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाय ।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दलित एवं महादलित छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति की राशि वितरित करना एवं वैसे छात्र-छात्राएँ जो राज्य से बाहर पढ़ते हो, को छात्रवृत्ति दिया जाय ।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा तय की गई मिनू के अनुरूप भोजन की आपूर्त्ति करना एवं इसमें गड़बड़ी करने वाले दोषी व्यक्तियों या संबंधित एन०जी०ओ० का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए उचित कार्रवाई किया जाय ।
4. राज्य के सभी अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय छात्रावासों के भवनों को विस्तारित करना एवं उसमें बिजली, पेयजल आपूर्त्ति तथा रख-रखाव की स्थिति सुदृढ़ किया जाय ।
5. राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के संख्या के अनुरूप सभी विषयवार शिक्षकों/शिक्षिकाओं का पदस्थापन किया जाय ।
6. राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में जेनरेटर एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था किया जाय ।
7. आवासीय विद्यालयों में छात्रों को देय सुविधा की मिनू बड़े-बड़े अक्षरों में बोर्ड पर अंकित किया जाय ।
8. दिनांक-03.06.2011 को समिति की बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन (परिशिष्ट-2) में अधिकांश प्रश्नावलियों का उत्तर विभाग को समय-सीमा के अन्दर जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है । उसे चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय ।
9. वैसे शिक्षकों जिनका कार्य विद्यालय में संतोषप्रद नहीं है इन्हें चिन्हित करते हुए भविष्य में सतर्कता बरतने की चेतावनी दी जाय ।
10. आवासीय विद्यालयों में बीमार छात्रों को चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय ।

(रमेश ऋषिदेव)
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट–I

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या–वि०स०§क०§–09/2010–176..../वि०स० ।

प्रेषक,

श्री राज किशोर रावत,
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति सहकारिता विकाश निगम, पटना

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रधान सचिव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, जल संसाधन बिहार सरकार, पटना

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, गृह §कारा§ विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकाश विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकाश विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, पटना

सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना

§कृ०पृ०उ०.../-

निदेशक,
अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बेली रोड, पटना

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्त्ति निगम, सोन भवन, पटना ।

पटना, दिनांक-21...जनवरी, 2011 ई०।

विषय :- बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन दल-1, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, तथा अध्ययन दल-2, वैशाली, छपरा, बेतिया (प० च०), मोतिहारी (पूर्वी च०), मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिलों का दिनांक-25.01.2011 से 03.02.2011 तक स्थल अध्ययन यात्रा के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति स्थल अध्ययन दल-1, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार तथा अध्ययन दल-II वैशाली, छपरा, बेतिया (प० च०), मोतिहारी (पूर्वी च०), मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, जिलों का दिनांक-25.01.2011 से 03.02.2011 तक संलग्न कार्यक्रमानुसार स्थल अध्ययन यात्रा करेंगी ।

समिति स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में संलग्न प्रश्नावली पर विचार विमर्श एवं यात्रा कार्यक्रमानुसार स्थल अध्ययन करेंगी ।

उक्त स्थल अध्ययन यात्रा में समिति की स्थल अध्ययन दल-I में सभापति सहित कुल आठ (8) माननीय सदस्य तथा समिति के सहयोगार्थ सभा सचिवालय के एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी तथा एक प्रतिवेदक एवं एक कार्यालय अनुसेवक सम्मिलित रहेंगे तथा स्थल अध्ययन दल-II में माननीय सभापति सहित कुल आठ (8) माननीय सदस्य तथा समिति के सहयोगार्थ सभा सचिवालय के एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी तथा एक प्रतिवेदक एवं एक कार्यालय अनुसेवक सम्मिलित रहेंगे ।

अतः अनुरोध है कि स्थल अध्ययन दल-I एवं स्थल अध्ययन दल-II की स्थल अध्ययन यात्रा में समिति के सहयोगार्थ अपने विभाग से एक वरीय पदाधिकारी जो उप सचिव स्तर के हो, को प्रतिनियुक्त करने तथा यात्रा प्रवास के दौरान समिति के माननीय सभापति, माननीय सदस्यों एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी के

(क्रम०ए०...

आवास, परिवहन, आदि की समुचित व्यवस्था करने के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था (पुलिस स्कॉट पार्टी) करने की कृपा की जाय ।

यह भी अनुरोध है कि संबंधित क्षेत्रीय विभागीय पदाधिकारियों को भी सभी सूचनाओं के साथ यात्रा के दौरान समिति की बैठक में विभागीय प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से भी निदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

21/01/11

(राज किशोर रावत)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(क०)-09/10-176.../वि०स०, पटना, दि०-21.. जनवरी, 2011 ई०।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, बेगूसराय/खगड़िया/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/अररिया/पूर्णिया/कटिहार का समिति की अध्ययन दल-I की संलग्न कार्यक्रमानुसार एवं जिलाधिकारी, वैशाली/छपरा/बेतिया (प० च०)/ मोतिहारी (पूर्वी च०)/मुजफ्फरपुर / सीतामढ़ी/मधुबनी/दरभंगा का समिति की अध्ययन दल-II को संलग्न कार्यक्रमानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/01/11

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(क०)-09/10-176.../वि०स०, पटना, दि०-21.. जनवरी, 2011 ई०।

प्रतिलिपि :- आरक्षी अधीक्षक, पटना/बेगूसराय/खगड़िया/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/अररिया/पूर्णिया/कटिहार का समिति की अध्ययन दल-I की संलग्न कार्यक्रमानुसार एवं आरक्षी अधीक्षक, वैशाली/छपरा/बेतिया (प० च०) / मोतिहारी (पूर्वी० च०)/ मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/ मधुबनी/ दरभंगा का समिति की अध्ययन दल-II की संलग्न कार्यक्रमानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रमानुसार समिति की स्थल अध्ययन दल-I एवं स्थल अध्ययन दल-II के लिये अलग-अलग पुलिस स्कॉट पार्टी की समुचित व्यवस्था करने की कृपा की जाय ।

21/01/11

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

संजय चौधरी /-
21.01.11

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0 ।क0।-08/2010- 962/वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री राजकिशोर रावत
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 16, मई, 2011 ई0.

विषय :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की बैठक के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनु जनजाति कल्याण समिति की दिनांक 28.4.2011 को 3:00 बजे अपराह्न में हुई बैठक के निर्णयानुसार समिति की अगली बैठक दिनांक 16.5.2011 को 3:00 बजे अप0 में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी जिसमें समिति आपसे निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी ।

।1। रोहतास जिला के रोहतास, नौहट्टा, चेनारी एवं शिवसागर प्रखण्डों में अनुसूचित जनजाति ।एस. टी.। के कल्याणार्थ चलाये जा रहे केन्द्रीय विशेष योजना ।भाड़ा योजना। में व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं लूट खसोट विगत पाँच वर्षों में हुआ है । सही लाभार्थी व्यक्तियों को इस योजना का लाभ न देकर अन्य को दे दिया गया है, जो भी इस योजना के द्वारा लाभार्थी को सामान दिया गया वह कम्पनी का सामान नहीं दिया गया है । साथ ही जिला के सभी आवासीय विद्यालयों के रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है जिसके कारण छात्र/छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में ।

।2। समिति की राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में दिनांक 28.1.11 को सहरसा जिला के राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, अमरपुर में छात्र/छात्राओं के भोजन में अनियमितता बर्ती जा रही है तथा निरीक्षण के क्रम में समिति द्वारा यह निदेश दिया गया था, की उक्त विद्यालय में शिक्षक/ स्टाफ स्कूल में रात में रहेंगे, से संबंधित प्रतिवेदन वहाँ मौजूद जिला कल्याण पदाधिकारी से माँग किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तिथि की निर्धारित बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित जाँच प्रतिवेदन बीस ।20। प्रतियों में बैठक से पूर्व उपलब्ध कराते हुए, बैठक में स्वयं भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 13/5/11
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0 (स0)-अं-08/10- 1097/वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री लक्ष्मीकान्त झा
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 30 मई, 2011 ई.

विषय :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की बैठक के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :- सभा सचिवालय के पत्र संख्या-962, दिनांक 16 मई, 2011 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की अगली बैठक दिनांक 03.06.2011 को 3:00 बजे अप0 में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी, "जिसमें समिति आपसे सभा सचिवालय के पत्रांक-962, दिनांक 16 मई, 2011 में उल्लेखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी ।"

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तिथि की निर्धारित बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन बीस (20) प्रतियों में बैठक से पूर्व उपलब्ध कराते हुए बैठक में स्वयं भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

लक्ष्मीकान्त झा 27/5/11
(लक्ष्मीकान्त झा)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

27/5/11

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0।क0।-09/2010-1256 वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री राजकिशोर रावत
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बेली रोड, पटना ।
सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

।कृ0पृ0उ0।

प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य असैनिक खाद्य आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना ।
निदेशक, गृह (कारा) विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 17 -, जून, 2011 ई०

विषय :- बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन दल-1, भोजपुर (आरा), बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद, गया, जहानाबाद एवं पटना तथा अध्ययन दल-2, भागलपुर, बाँका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नालन्दा एवं नवादा जिलों का दिनांक 21.06.2011 से 30.06.11, तक स्थल अध्ययन यात्रा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति स्थल अध्ययन दल-1, भोजपुर (आरा), बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद, गया, जहानाबाद एवं पटना तथा अध्ययन दल-2, भागलपुर, बाँका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नालन्दा एवं नवादा जिलों का दिनांक 21.06.2011 से 30.06.2011 तक संलग्न कार्यक्रमानुसार स्थल अध्ययन यात्रा करेगी ।

समिति स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में संलग्न प्रश्नावली पर विचार-विमर्श एवं यात्रा कार्यक्रमानुसार स्थल अध्ययन करेगी

उक्त स्थल अध्ययन यात्रा में समिति की स्थल अध्ययन दल-1 में सभापति सहित कुल आठ (8) माननीय सदस्य तथा समिति के सहयोगार्थ सभा सचिवालय के एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी तथा एक प्रतिवेदक एवं अनुसेवक सम्मिलित रहेंगे तथा स्थल अध्ययन दल-2 में मा० सभापति सहित कुल नौ (9) मा० सदस्य तथा समिति के सहयोगार्थ सभा सचिवालय के एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी तथा एक प्रतिवेदक एवं अनुसेवक सम्मिलित रहेंगे ।

(क्र०पृ०उ०)

अतः अनुरोध है कि अध्ययन दल-1 एवं अध्ययन दल-2 की स्थल अध्ययन यात्रा में समिति के सहयोगार्थ अपने विभाग से एक वरीय पदाधिकारी जो उपसचिव स्तर के हों, को प्रतिनियुक्त करने तथा यात्रा प्रवास के दौरान समिति के माननीय सभापति, मा0 सदस्यों एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी के आवास, परिवहन आदि की समुचित व्यवस्था करने के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था [पुलिस स्कॉट पार्टी] करने की कृपा की जाय ।

यह भी अनुरोध है कि संबंधित क्षेत्रीय विभागीय पदाधिकारियों को भी सभी सूचनाओं के साथ यात्रा के दौरान समिति की बैठक में विभागीय प्रतिवेदन दस [10] प्रतियों के साथ उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से भी निदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

17/6/11

[राजकिशोर रावत]

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं0-वि0स0[क0]-09/2010-1256/वि0स0, पटना, दिनांक-17 जून, 2011 ई0.

प्रति :- जिलाधिकारी, भोजपुर [आरा]/बक्सर/कैमूर [भभुआ]/रोहतास [सासाराम]/औरंगाबाद/गया/जहानाबाद/पटना का समिति की अध्ययन दल-1 की संलग्न कार्यक्रमानुसार एवं जिलाधिकारी, भागलपुर/बाँका/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/नालन्दा/नवादा का समिति की अध्ययन दल-2 को संलग्न कार्यक्रमानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/6/11

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं0-वि0स0[क0]-09/2010-1256/वि0स0, पटना, दिनांक-17 जून, 2011 ई0.

प्रति :-आरक्षी अधीक्षक, पटना/भोजपुर [आरा]/बक्सर/कैमूर [भभुआ]/रोहतास [सासाराम]/औरंगाबाद/गया/जहानाबाद का समिति की अध्ययन दल-1 की संलग्न कार्यक्रमानुसार एवं आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर/बाँका/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/नालन्दा/नवादा/पटना का समिति की अध्ययन दल-2 की संलग्न कार्यक्रमानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रमानुसार समिति की स्थल अध्ययन दल-1 एवं स्थल अध्ययन दल-2 के लिये अलग-अलग पुलिस स्कॉट पार्टी की समुचित व्यवस्था करने की कृपा की जाय ।

17/6/11

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0।क0।-09/2010- 2451 वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री फूल झा
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 14, दिसम्बर, 2011 ई०.

विषय :- बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की अध्ययन दल-1 एवं अध्ययन दल-2 की दिनांक 05.01.2012 से दिनांक-14.01.2012 तक राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन यात्रा तथा यात्रा के पूर्व दिनांक 04.01.2012 को 12:00 बजे मध्याह्न में समिति की बैठक के सम्बन्ध में ।

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की अध्ययन दल ।1। संलग्न कार्यक्रमानुसार दिनांक 05.01.2012 से 14.01.2012 तक राज्य के अन्दर बेगुसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों का स्थल अध्ययन यात्रा करेगी तथा स्थल अध्ययन दल ।2। संलग्न कार्यक्रमानुसार दिनांक 05.01.2012 से 14.01.2012 तक राज्य के अन्दर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सारण ।छपरा। जिलों का स्थल अध्ययन यात्रा करेगी तथा यात्रा के पूर्व अध्ययन दल ।1। एवं अध्ययन दल ।2। संयुक्त रूप से

। कृ0पृ0उ0 ।

दिनांक 04.01.2012 को 12:00 बजे मध्याह्न में बिहार विधान सभा स्थित समिति कक्ष, पटना में उपर्युक्त विभागों के पदाधिकारियों के साथ समिति की बैठक होगी, जिसमें समिति अपने कार्यक्रम के अनुसार यात्रा एवं कार्यक्रम में उल्लेखित बिन्दूओं पर विचार-विमर्श करेगी ।

उक्त स्थल अध्ययन यात्रा में समिति की स्थल अध्ययन दल (1) सभापति सहित नौ (9) मा0 सदस्य एवं अध्ययन दल (2) में सभापति सहित कुल आठ (8) मा0 सदस्य तथा दोनों दलों में समिति के सहयोगार्थ बिहार विधान सभा सचिवालय के कुल-4 पदाधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की अध्ययन दल-1 एवं अध्ययन दल-2 के सहयोगार्थ अलग-अलग अपने विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो उप सचिव स्तर के हों एवं विषय वस्तु की जानकारी रखते हों, को प्रतिनियुक्त करने तथा अध्ययन दल-1, अध्ययन दल-2 की यात्रा की व्यवस्था हेतु वाहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ विगत तीन वर्षों में विकास कार्यों एवं लक्ष्यों से संबंधित प्रतिवेदन के साथ-साथ दिनांक 04.01.2012 को 12:00 बजे मध्या0 में उक्त निर्धारित बैठक में उपस्थित होने तथा यात्रा प्रवास के दौरान समिति के माननीय सभापति, मा0 सदस्यों एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारी/ कर्मचारी के समुचित आवास, परिवहन एवं भोजन की समुचित व्यवस्था नियमानुसार भुगतान के आधार पर करने की अतिरिक्त उनकी सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था (पुलिस स्कॉट पार्टी) करने की कृपा की जाय ।

यह भी अनुरोध है कि सम्बन्धित क्षेत्रिय विभागीय पदाधिकारी को सभी सुचनाओं के साथ यात्रा के दौरान समिति की बैठक में उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश देने की कृपा की जाय एवं की गई कार्रवाई से सभा सचिवालय को भी अवगत कराई जाय ताकि समिति को अवगत कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

14.12.11

(फूल झा)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

(कृ0पृ0उ0)

2451

ज्ञापांक- वि०स०। क०।-09/2010- /वि०स०, पटना, दिनांक- 14, दिसम्बर, 2011 ई०.

प्रति :- जिलाधिकारी, बेगुसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार को समिति की अध्ययन दल-1 एवं वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सारण को समिति की अध्ययन दल-2 की अध्ययन दल-1 एवं अध्ययन दल-2 संलग्न कार्यक्रम की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे यह भी अनुरोध है कि निर्धारित यात्रा के पूर्व उपर्युक्त सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रखण्डवार विगत तीन वर्षों के विकास कार्यों एवं साक्ष्यों से सम्बन्धित विषयों पर स्वयं समीक्षा कर समिति की बैठक में प्रतिवेदन के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु सूचना देने की कृपा करें ।

ह०/- 14.12.11.

उप सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक- वि०स०। क०।-09/2010- 2451/वि०स०, पटना, दिनांक- 14, दिसम्बर, 2011 ई०.

प्रति :- वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/ आरक्षी अधीक्षक, बेगुसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार को समिति की अध्ययन दल-1 की संलग्न कार्यक्रमानुसार तथा वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सारण को समिति की अध्ययन दल-2 संलग्न कार्यक्रम के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे यह भी अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम अनुसार समिति के मा० सभापति एवं माननीय सदस्यों एवं सभा सचिवालय के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था (पुलिस स्कॉट पार्टी) सहित समुचित व्यवस्था करने की कृपा की जाय

ह०/- 14.12.11

उप सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ह०/- 14/12/11

परिशिष्ट–II

बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा विचार–विमर्श हेतु दिनांक–03–06–2011 को 3.00 बजे अप0 में आयोजित बैठक के लिए कंडिकावार उत्तरः–

1	**जिला–बेगूसराय**	
	1. आवासीय विद्यालय, भर्रा में शिक्षक नही रहते है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–474 दिनांक–26–05–2011 से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनु–01)**
	2. आवासीय विद्यालय, भर्रा में कम्प्युटर लगाने की अनुशंसा की गई है।	
	3. आवासीय विद्यालय, भर्रा को 10+2 में उत्क्रमित करने की अनुशंसा	**विभाग द्वारा 5 अनु0 जाति एवं 2 अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों का 10+2 में उत्क्रमण किया गया है, जिसमें से दो आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। दुसरे चरण में शेष का उत्क्रमण किया जाएगा।**
	4. रख–रखाव की व्यवस्था उचित नही है।	**(अनु–01 में प्रतिवेदित किया गया है।)**
2	**जिला–सहरसा**	
	1.राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय में दोनों शाम चावल मिलता है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक –516–2 दिनांक–01–06–2011 से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनु–02)**
	2. राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय में 3 धंटी क्लास लिया जाता है, जबकि 10 शिक्षक पदस्थापित है।	
	3. सहायक शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक के आदेश का उल्लंधन किया जाता है।	
	4. सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।	
	5. विद्यालय में मात्र एक शिक्षक श्री सचिदानन्द राय ही रहते है।	
	6. बच्चों का भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है।	
3	**जिला–पूर्णियां**	
	राजकीय छात्रावास बैद्यनाथ पुर 1. छात्रावास बन कर तैयार है लेकिन अभी तक विभाग को हस्तनांतरण नहीं किया गया हैं।	विभागीय पत्रांक–1263 दिनांक–24–05–2011 से सचिव, भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। **(अनु–03)**
	2. विद्यालय में दो रसोईया है जिसमें से एक रसोईया जिला कल्याण पदा0 के आवास पर कार्यरत है।	
	3. विशेष अंगीभूत योजना के द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।	विभागीय पत्रांक–1264 दिनांक–24–05–2011 से जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियां को निदेश दिया गया है। **(अनु–04)**
4	**जिला– कटिहार**	
	1. आवासीय विद्यालय कटिहार में रखरखाव एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–734 दिनांक–28–05–2011 से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनु–05)**

5	**जिला– हाजीपुर**	
	कन्या आवासीय विद्यालय, दीघी 1. क्लास रुम की कमी है। 2. डेस्क बेंच नहीं है। 3. खाना मीनू के अनुरुप नहीं मिलता है। 4. खाना घटिया मिलता है। 5. खाना बनानेवाला रसोईया को बदल दिया जाय।	विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)**
6	**जिला– बेतिया (प0 चम्पारण)**	
	अम्बेदकर जगजीवन छात्रावास 1. होस्टल में मेस नहीं चलता है। 2. पेयजल एवं शौचालय का अभाव है। 3. कोई सफाइ कर्मचारी नहीं है।	विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)** विभागीय पत्रांक–1372 दिनांक–1–06–2011 सचिव, भवन निर्माण विभाग को निर्माण/मरम्मति हेतु पत्र दिया गया है ।
7	**जिला– मोतिहारी (पू0 चम्पारण)**	
	अम्बेदकर छात्रावास 1.एक कमरे में चार छात्र रहते है जबकि नया छात्रावास में दो छात्र रहते है। 2. छात्रावास में स्वीपर नहीं है। 3. पेयजल की गंभीर समस्या है। मोटर खराब है। 4. छात्रवृत्ति नही मिलती है। जिला कल्याण पदा0 छात्रवृत्ति देने में आनाकानी करते है। 5. शौचालय की संख्या–10 है लेकिन दो ही चालू है।	विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)** विभागीय पत्रांक–1361 दिनांक–31–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–08)**
8	**जिला– सीतामढ़ी**	
	आवासीय विद्यालय बखरी में तीन मंजिला इमारत बनाने का रिवाईज्ड इस्टीमेट कल्याण विभाग में लंवित है।	विभागीय पत्रांक–956 दिनांक–19–05–2011 से योजना एवं विकास विभाग से योजना उद्व्यय की मांग की गई है। **(अनु–08)**
9	**जिला– सीतामढ़ी**	
	आवासीय उच्च विद्यालय 1. विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं है। 2. इस विद्यालय में विज्ञान,गणित,केमेस्ट्री,इतिहास के शिक्षक नहीं है। 3. दोने शाम खाना में चावल दिया जाता है मेनू के अधार पर खाना नहीं मिलता है। 4. खाना बहुत ही खराब दिया जाता है। 5. प्रखंड कल्याण पदा0 अधीक्षक है लेकिन एक दिन भी नहीं आते है।	विभागीय पत्रांक–1075 दिनांक–06–05–2011 द्वारा नियत वेतन पर नियोजित शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार करने का निदेश दिया गया है। विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)**
10	**जिला– मधुबनी**	
	बालिका आवासीय विद्यालय 1. शौचालय दरवाजा खिड़की नहीं है, दो ही शौचालय चालू है स्नानघर नहीं है।	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–332 दिनांक–

		31–05–2011 से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनु–07)** विभागीय पत्रांक–1372 दिनांक–1–06–2011 सचिव, भवन निर्माण विभाग को निर्माण/मरम्मति हेतु पत्र दिया गया है ।
	2. इस विद्यालय को + 2 उत्क्रमित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गयी है या नहीं है।	**विभाग द्वारा 5 अनु0 जाति एवं 2 अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों का 10+2 में उत्कमण किया गया है, जिसमें से दो आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। दुसरे चरण में शेष का उत्कमण किया जाएगा।**
	3.मैथ, संस्कृत एवं विज्ञान के शिक्षक नहीं है। इस संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना की मांग की गई है।	विभागीय पत्रांक–1075 दिनांक–06–05–2011 द्वारा नियत वेतन पर नियोजित शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार करने का निदेश दिया गया है।
	4.सफाई व्यवस्था बिलकुल खराब है। ड्रेनेज की समस्या है।	विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)**
	<u>राजकीय अम्बेदकर उच्च विद्यालय, रामनगर</u> 1. दोनों शाम खाना में चावल मिलता है।	विभागीय पत्रांक–1297 दिनांक–26–05–2011 से प्रतिवेदन की मांग की गई है। **(अनु–06)**
11	महादलित विकास मिशन द्वारा चलाये जा रहे सामुदायिक भवन निर्माण योजना के संबंध में	बिहार महादलित विकास मिशन से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न **(अनु–06)**

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–2 / शि0स्था0–60–08 / 2010–

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–

विषय–**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में विभिन्न कोटि एवं विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियत वेतन के आधार पर की गयी नियोजित शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–5128 दिनांक 26.12.07 एवं विभागीय पत्रांक 2409 दिनांक 26.06.09, की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र की कंडिका–VI के अनुसार सेवा विस्तार हेतु आप ही सक्षम पदाधिकारी हैं। तत्काल लिये गये निर्णय के अनुसार संविदा पर सेवा की अवधि संबंधित संविदा पर नियोजित शिक्षकों की सेवा की समाप्ति की तिथि से अगले 11 (ग्यारह) माह के लिए सेवा विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है, अगर इस बीच पूर्व के निर्णय के आलोक में एक वर्ष (12 माह) के लिए सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गई हो तो इसकी सूचना विभाग को दी जाय ताकि इस पर विभाग का अनुमोदन संसूचित किया जा सके।

अतएव अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए इस संबंध में कृत कार्रवाई से विभाग / निदेशालय को शीघ्र संसूचित करने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी कहना है कि यदि इस बीच शिक्षकों कोई नियमित व्यवस्था हो जाती है तब वैसे परिस्थिति में सेवा विस्तार उसी तिथि से समाप्त समझी जायेगी। कृपया सेवा विस्तार के आदेश में इस बंधेज को सम्मिलित कर लिया जाय।

2– प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

निदेशक।

ज्ञापांक–2 / शि0स्था0–60–08 / 2010– 1075 पटना, दिनांक– 6/5/2011

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपनिदेशक (कल्याण), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्रधानाध्यापक, रा0 अम्बे0 आवासीय स0 वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

Letter diretor-Ajit

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं क ल्प

विषयः— अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 744 पदों में से कुल रिक्त 274 पदों पर नियत वेतन के आधार पर नियुक्ति हेतु नियोजन प्रकिया ।

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये प्राथमिक स्तर से लेकर 10+2 स्तर तक आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है । विगत वर्षों में इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्तियॉं नहीं हो सकी है । फलतः शिक्षकों की कमी के कारण पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से सम्पादन करने में कठिनाई हो रही है । राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है ।

अतः राज्य सरकार ने अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के आवासीय विद्यालयों में नियत वेतन के आधार पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर निम्नांकित प्रकियाओं एवं मापदण्डों के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया है :—

(1) <u>10 + 2 विद्यालयों के शिक्षको के नियोजन के लिए मापदण्ड एवं प्रक्रिया</u> :—

<u>योग्यताः</u>—(i) भारत का नागरिक एवं बिहार का निवासी हो

(ii) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंको से स्नातकोत्तर हो। अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विकलागों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% कि छूट दी जायगी।

(iii) कॉलेजों/विद्यालयों में शिक्षण कार्य का पुर्वानुभव रखने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा ।

<u>प्राथमिकताः</u>— उच्चत्तर बी0एड0 / एम0 एड0 योग्यताधारी उम्मीदवारों कों चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(2) **<u>उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के लिये मापदण्ड एवं प्रकिया</u>** :—

<u>योग्यताः</u>—(i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हों ।

(ii) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंको से स्नातक हो। अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विकलागों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% कि छूट दी जायगी।

(iii) उच्च विद्यालयों में शिक्षण कार्य का पुर्वानुभव रखने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा ।

<u>प्राथमिकताः</u>— (i) उच्चत्तर बी0एड0 / एम0 एड0 योग्यताधारी उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(3) **<u>मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के नियोजन के लिये मापदंड एवं प्रकिया</u>** :—

(i) योग्यताः— भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो ।

(ii) न्यूनतम आई0ए0/ आई0 एस0 सी0 न्यूनतम 45% अंको से उत्तीर्ण हो। अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विकलागों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जायगी।

(iii) उच्च विद्यालयों / मध्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य का पुर्वानुभव रखने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा ।

प्राथमिकताः— (i) उच्चतर योग्यताधारी एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(4) सामान्य

(i) आरक्षणः— सभी नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी । साथ ही नियोजन में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 458 दिनांक 30—9—02 द्वारा निर्गत आदेश / रोस्टर व्यवस्था लागू होगी ।

(ii) उम्रः— जिस वर्ष नियोजन किया जायेगा उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाय । शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी ।

(5) **नियोजन की प्रकिया** :—

विज्ञापनः— (i) जिला पदाधिकारी द्वारा जिलों की रिक्तियॉ राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी ।

(ii) आवेदन जिला स्तर पर आमंत्रित किये जायेंगे । आवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होंगें एवं तुरन्त एक प्राप्ति रसीद दी जायगी / भेजी जायगी।

(iii) जिन अभ्यार्थियों का नाम नियोजनालय में पंजीकृत है, उन्हें भी आवेदन करना होगा ।

(6) **पैनल तैयार करने की प्रकिया**

(i) जिला स्तर पर रिक्त पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नियोजन हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा पैनल तैयार किया जायेगा ।

(ii) पैनल एक वर्ष तक वैध होगा ।

(iii) मध्य विद्यालय के शिक्षकों के नियोजन हेतु पैनल निम्न रूपेण मेधा अंक के आधार पर प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित अभ्यार्थी का अलग अलग मेधा सूची तैयार किया जायेगा :—

(क) इन्टरमिडिएट परीक्षा का अधिभार अंक	:	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ख) माध्यमिक परीक्षा का अधिभार अंक	:	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ग) दो वर्षीय प्रशिक्षण का अधिभार अंक	:	प्राप्तांक का प्रतिशत.

उपर्युक्त सभी प्राप्ताकों का प्रतिशत जोड़कर तीन से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उस अभ्यार्थी का मेघा अंक होगा । अप्रशिक्षित अभ्यार्थी के लिये प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर दो से भाग देकर मेघा अंक प्राप्त किया जायेगा ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों / मध्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा । अतिरिक्त अंकों की अधिकतम सीमा 10 होगी ।

(iv) माध्यमिक शिक्षक के लिये पैनल निम्नरूपेण मेधा अंक के आधार पर प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का अलग–अलग किया जायेगा :–

(क)	मूल योग्यता (स्नातक) का अधिभार अंक अथवा स्नातक प्रतिष्ठा का अधिभार अंक	–	प्राप्तांक का प्रतिशत अंक
(ख)	उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा का अथवा इन्टरमिडिएट परीक्षा का अधिभार अंक	–	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ग)	माध्यमिक परीक्षा का अधिभार अंक	–	प्रांप्ताक का प्रतिशत
(घ)	बी0एड0 का अधिभार अंक	–	प्राप्तांक का प्रतिशत

उपरोक्त सभी प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उसमें चार से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उस अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा । अप्रशिक्षित अभ्यर्थी के लिये प्राप्तांक के प्रतिशित को जोड़कर तथा तीन से भाग देकर मेधा अंक निकाला जायेगा । परन्तु स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी को पॉच अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा ।

समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा । समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रा ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों में शिक्षण कार्य का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा । अतिरिक्त अंकों की अधिकतम सीमा 10 होगी ।

(v) 10+2 विद्यालयों में शिक्षक के लिये पैनल निम्नरूपेण मेधा अंक के आधार पर प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का अलग–अलग मेधा सूची तैयार किया जायेगा :–

(क)	मूल योग्यता (स्नातकोत्तर) – का अधिभार अंक	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ख)	स्नातक प्रतिष्ठा का अंक अथवा– स्नातक का अधिभार अंक	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ग)	उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा– अथवा इन्टरमीडिएट का अधिभार अंक	प्राप्तांक का प्रतिशत
(घ)	माध्यमिक परीक्षा का अधिभार अंक–	प्राप्तांक का प्रतिशत
(ड.)	बी0एड0 का अधिभार अंक—–	प्राप्तांक का प्रतिशत

उपरोक्त सभी प्राप्तांक का प्रतिशत को जोड़कर उसमें पॉच से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उन अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा । अप्रशिक्षित अभ्यर्थी के लिये प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर तथा चार से भाग देकर मेधा अंक निकाला जायेगा । परन्तु स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी को अतिरिक्त पॉच अंक अनुमान्य होगा ।

समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रा ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

(च) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विद्यालयों के 10+2 शिक्षण कार्य का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अतिरिक्त अंक अनुमान्य होगा । अतिरिक्त अंकों की अधिकतम सीमा 10 होगी ।

(vi) प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के पैनल अलग–अलग तैयार किये जायेंगे । पहले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के पैनल से नियोजन किया जायेगा तथा बचे हुए रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियोजन का अवसर दिया जायेगा ।

7–पैनल हेतु समिति

(i)	जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	सदस्य
(iii)	जिला शिक्षा पदा0–	सदस्य
(iv)	जिला कल्याण पदा0–	सदस्य सचिव
(v)	जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक / महिला / अति पिछड़े वर्ग के यथासंभव तीन पदाधिकारी	सदस्य ।

8– नियोजन पत्र

अनुमोदित पैनल से रिक्तियों के विरूद्ध संबंधित जिला के जिला कल्याण पदा0 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत करेंगे । यह नियोजन प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए होगा । उसके पश्चात संतोषप्रद सेवा होने पर नियोजन अवधि तीन–तीन वर्ष के आधार पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा । किसी शिक्षक की सेवा एक माह का नोटिस या समतुल्य नियत वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है ।

9–प्रमाण पत्रों की जॉच –

जिला पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यकता जॉच करा लेगें। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिये जायेगें और अन्य कानूनी कारवाई की जायेगी।

10–नियत वेतन

(i) उच्च विद्यालयों के लिये चयनित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 6000 रू0 एवं अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रति माह 5000 रू0 नियतवेतन दिया जायेगा।

(ii) मध्य विद्यालय के लिये चयनित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5000 रू0 एवं अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रति माह 4000 रू0 नियतवेतन दिया जायेगा।

(iii) 10+2 विद्यालय के लिये चयनित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 10000 रू0 एवं अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रति माह 8000 रू0 नियतवेतन दिया जायेगा।

(iv) प्रत्येक तीन वर्षो पर नियोजन कालावधि के बाद मूल्यांकन के आधार पर उनके कुल नियत वेतन में उच्च विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 600 रू0 एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 500 रू0, मध्य विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 500 सौ रू0 एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 300 रू0, 10+2 विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 700 सौ रू0 एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 600 रू0 वृद्धि की जायगी ।

(v) अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा अनुमोदित संस्थान से प्रशिक्षण की योग्यता अधिकतम छः वर्षों के भीतर अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा । प्रशिक्षण अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश दिया जायेगा । परन्तु सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उनका नियोजन अक्षुण्ण रहेगा ।

(vi) प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षकों का नियत वेतन देय होगा ।

(vii) 1– ऐसे नियोजित शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष के आयु तक नियोजित रह सकेगें।
2– इस प्रकार नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन के अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता यथा – महंगाई भत्ता/आवास भत्ता/चिकित्सा भत्ता / परिवहन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

11–**स्थानान्तरण:–**

नियतवेतन पर नियोजित शिक्षक के पद अस्थानान्तरणीय होगा। परन्तु शिक्षक को अपनी सेवा काल में तीन वर्षो के बाद जिला के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा होगी।

12–**सेवा पुस्तिका का संधारण:–**

नियतवेतन पर नियोजित शिक्षक की सेवा पुस्तिका का संधारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।

13–**छुट्टी:–**

नियत वेतन पर नियोजित शिक्षक को वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने की शक्ति विद्यालय के प्रधान की होगी। महिला शिक्षक अधिकतम प्रथम दो शिशु के जन्म के समय सरकार द्वारा अनुमान्य मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।

14–**वेतन भुगतान:–**

नियतवेतन पर नियोजित शिक्षक के नियतवेतन का भुगतान चेक/अन्तरण के माध्यम से संबंधित विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15–**शिकायत:–**

इस आदेश के अधीन नियोजन, स्थानान्तरण अथवा सेवा शर्त्त संबंधी मामलों में जिला पदाधिकारी के यहाँ अधिकतम 15 दिनों के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी । जिला पदाधिकारी प्राप्त शिकायत पर अधिकतम दो माह के अन्दर अपना निर्णय संसूचित कर देंगे तथा उक्त निर्णय अंतिम माना जायेगा ।

16–**प्रकीर्ण:–**

(i) राज्य सरकार इस आदेश के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(ii) इस आदेश का प्रभाव पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्त्त पर नहीं होगा।

17–**अनुशासनिक कार्रवाई**

(क) बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या पठन–पाठन में शिथिलता वरतने की स्थिति में नियोजन भंग कर सेवा मुक्त कर दिया जायेगा ।
(ख) विद्यालय से अनुपस्थित रहने, समय पर विद्यालय नहीं आने एवं अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे । अनुशासनिक कार्रवाई पर अंतिम निर्णय कंडिका–(7) की समिति द्वारा लिया जा सकेगा ।

18 - नियोजन प्रकिया के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2/शि0स्था0–60–17/06–क0– 5128 पटना–15, दिनांक– 26/12/07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राज्य के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2/शि0स्था0–60–17/06–क0– 5128 पटना–15, दिनांक– 26/12/07

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक– 2409

प्रेषक,

के0पी0रामय्या,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 26/6/09

विषय:– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर अध्यापन हेतु चयन के संबंध में।

महाशय,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यापक कमी को देखते हुए छात्रों के पठन–पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों को 200/–(दो सौ रूपये) प्रति कार्य दिवस (न्यूनतम 5 पीरिएड) की दर पर सरकारी विद्यालयों से चयन कर शिक्षण कार्य लिया जाना है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या– 3/एम–78/2005–क–2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में संविदा (मानदेय) पर नियोजित करने के दिशा–निर्देश के आलोक में सरकारी विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में विषयवार रिक्तियों के विरूद्ध उनकी अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

I.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
II.	उपविकास आयुक्त	–	सदस्य
III.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
IV.	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
V.	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0जाति/अनु0जनजाति का एक वरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
VI.	जिला के आवासीय विद्यालय के वरीय प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन निम्नांकित शर्तों पर किया जाएगा :–

I. जिस जिला में विद्यालय अवस्थित है, उस जिले के सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

P.T.O

II. सेवानिवृत्त शिक्षक जो इसके उम्मीदवार होगें, उनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

III. विषयवार रिक्त पद पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन एक वर्ष के लिए किया जाएगा।

IV. इस प्रकार के मानदेय पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे।

V. नियमित नियुक्ति/अनुबंध पर होनेवाली नियुक्ति एवं पदस्थापन के फलस्वरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

VI. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के संयुक्त प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा संतोषप्रद होने पर एक वर्ष और आगे सेवा का विस्तार प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

VII. सेवा में लिए गए सेवानिवृत्त शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान विद्यालय के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक से कार्य दिवस के संबंध में प्राप्त सूचना/प्रतिवेदन के आधार पर आवासीय विद्यालय के लिए वेतन मद में उपलब्ध आवंटित राशि से किया जाएगा।

VIII. वर्तमान में 158 पदों पर चयन की प्रकिया की जानी है। जिलों की रिक्तियों को देखकर संबंधित जिलों में अनारक्षित एवं आरक्षित पदों की रिक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है तथा जिलावार, विद्यालयवार, विषयवार एवं आरक्षण कोटिवार रोस्टर बिन्दु तैयार किया गया है। चयन समिति द्वारा रोस्टर बिन्दु का अनुपालन किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक– 1. रोस्टर बिन्दु कुल 3 पन्नों में।
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401 की छायाप्रति।

(के०पी० रमय्या) 26/6/2009
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2409 दिनांक– 26/6/09
प्रतिलिपि :– सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी उपविकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 26/6/2009

ज्ञापांक– 2409 दिनांक– 26/6/09
प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 26/6/2009

बिहार सरकार,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।

सं०-4/छात्र-विविध-233-04/00-क- 1361

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
उप निदेशक, कल्याण।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मोतिहारी।

पटना-15, दिनांक- 31/5/11

विषयः- अम्बेडकर छात्रावास मोतिहारी में छात्रवृत्ति नहीं मिलने तथा डी० डब्लू०ओ० द्वारा छात्रवृत्ति देने में आनाकानी करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि बिहार विधान सभा की अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण समिति की बैठक में प्राप्त जाँच दल की रिपोर्ट से उल्लिखित है कि अम्बेडकर छात्रावास मोतिहारी में "छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। एवं डी०डब्लू०ओ० छात्रवृत्ति देने में आनाकानी करते हैं।"

अतः उक्त विषय के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन फैक्स द्वारा प्रेषित करने की कृपा की जाय ताकि कल्याण समिति की 3-6-11 को सम्पन्न आगामी बैठक में उक्त प्रतिवेदन के साथ भाग लिया जा सके।"

31/5/11

विश्वासभाजन

31.05.2011

(राजेन्द्र राम)
उप निदेशक, कल्याण।

O/C

समाहरणालय– मधुबनी
(जिला कल्याण शाखा)

पत्रांक :– 332 / जि०क०

निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कल्याण विभाग पत्र प्राप्ति 01 JUN 2011 संख्या 2373 बिहार, पटना

प्रेषक:– जिला कल्याण पदाधिकारी,
मधुबनी ।

सेवा में,

निदेशक,
अनु० जाति एवं अनु० जन जाति
कल्याण विभाग,
बिहार पटना ।

मधुबनी, दिनांक 31 वीं मई 11 ई०

विषय:– बिहार विधान सभा की अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कल्याण समिति द्वारा दिनांक 25.01.2011 से दिनांक 02.02.2011 तक क्षेत्र भ्रमण के दौरान रा० अम्बेदकर आवासीय विद्यालय/ छात्रावास के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के संबंध में ।

प्रसंग:– भवदीय पत्रांक 1292 दिनांक 26.05.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मांगी गई प्रतिवेदन विद्यालय एवं कंडिकावार निम्न प्रकार है :–

(1) रा० अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी —

क्रमांक:– कंडिका	उत्तर सामग्री
1. शौचालय में दरवाजा खिड़की नही है। दो ही शौचालय चालु है । स्नानागार नही है ।	1. कार्यपालक अभियंता रा०भ०नि०कार्यक्रम मधुबनी के द्वारा प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा मो० 9.5 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति से आठ (8) अदद शौचालय एवं स्नानागार निमार्ण कार्य कराया जा रहा है इसके लिये इस कार्यालय के पत्रांक 248 दिनांक [illegible] 04.11 के द्वारा आधी राशि मो० 4.75 लाख राशि विमुक्त किया गया है ।
2. इस विद्यालय को प्लस टु में उत्क्रमित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है या नही	2. विभाग से संबंधित है ।
3. मैथ, संस्कृत एवं विज्ञान के शिक्षक नही है । इस संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है	3. विभाग से संबंधित है ।
4. सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है । ड्रेनिंग की समस्या है	4. सफाई करा दी गई है । नियमित रूप से सफाई कर्मी कार्य करते हैं । इस कार्यालय के पत्रांक 216 दिनांक 29.03.11 के द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण / कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु दिशा निदेश की मॉग भवदीय से की गई है ।

2011/05/31 14:24 P002

(2) डा० अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय रामनगर, मधुबनी

क्रमांक– कंडिका	उत्तर सामग्री
1. दोनों शाम खाना में चावल मिलता है।	1. छात्रावास अधीक्षक एवं रसोईया को हिदायत दी गई कि छात्रों को दिन में चावल एवं रात्रि में रोटी की व्यवस्था की जाय। तदनुसार छात्रों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है।
2. नये भवन में शौचालय नही है।	2. क्षेत्र विकास योजना से छात्रावास का निर्माण कार्यपालक अभियंता एन०आर०ई०पी० मधुबनी द्वारा कराया गया है। अभी तक छात्रावास विद्यालय को हस्तानान्तर नही किया गया है। कार्य पूर्ण कराकर छात्रावास हस्तानान्तरण हेतु कार्यपालक अभियंता को लिखा गया है
3. विद्यालय में फर्निचर का अभाव है।	3. विद्यालय को तत्काल 30 चौकी, 30 डेस्क एवं 30 बेंच की आपूर्ति की गई है। 30 डेस्क एवं 30 बेंच आपूर्ति का आदेश आपूर्ति कर्ता को दिया गया है। एक पक्ष के अन्दर आपूर्ति हो जायेगी।
4. संस्कृत और हिन्दी के शिक्षक नही है।	4. विभाग से संबंधित है।
5. तीन रसोईया है लेकिन एक रसोईया भागा रहता है।	5. विद्यालय में चार रसोईया कार्यरत है एक रसोईया बिमार रहने के कारण अवकाश में था। अब सभी रसोईया कार्यरत है और ड्युटी पर हैं।

विश्वासभाजन,

31/5/2011

जिला कल्याण पदाधिकारी,
मधुबनी।

निदेशक कोषांग, अ०जा० एवं अ०ज०जा० पत्र पंजी 01 जून 2011 संख्या... बिहार, पटना

-15-

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन
मुख्यमंत्री सचिवालय, 4-देशरत्न मार्ग(4 के0 जी0), बिहार,पटना
फोन न0 - (0612) 2215115, 2215083

पत्रांक: 25(बि०एम०वि०एम०/सामु०भ०)/25-01/09- 569

प्रेषक,

मिशन निदेशक
बिहार महादलित विकास मिशन
बिहार, पटना

सेवा में,

निदेशक,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक 31/05/2011

विषयः सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण के प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में।
प्रसंगः आपका पत्रांकः - 4/निदे०-विविध-महा०-181-05/10क०1262 दिनांकः 24/05/2011

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया, पावती स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

मिशन निदेशक

अनुलग्णकः यथोक्त

बिहार महादलित विकास मिशन

माहः मई 2011

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण योजना- प्रगति प्रतिवेदन					
लक्ष्य	जिला द्वारा चयनित स्थल	निर्माणाधीन	गत माह तक पूर्ण	प्रतिवेदित माह मे पूर्ण	कुल पूर्ण
655	53	47	0	0	0

क्र०	जिला का नाम	लक्ष्य	चयनित स्थल	निर्माणाधीन	गत माह तक पूर्ण	प्रतिवेदित माह मे पूर्ण	कुल पूर्ण
1	पटना	30	5	5	0	0	0
2	नालंदा	20	19	19	0	0	0
3	गया	80	25	22	0	0	0
4	शेखपुरा	10	7	1	0	0	0

अन्य जिलों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ है।

31/5/2011

Er. Birendra Kumar Deepak
Senior Engineer

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण योजना - बिहार महादलित विकास मिशन

क्रम	जिला का नाम	निर्धारित लक्ष्य	वितीय लक्ष्य	आवंटन (I)	आवंटन (II)	आवंटन (III)
1	गया	80	34056000	10642500	23413500	
2	पटना	30	12771000	2128500	10642500	
3	अररिया	20	8514000		8514000	
4	नालंदा	20	8514000	2128500	6385500	
5	औरंगाबाद	20	8514000		8514000	
6	सहरसा	20	8514000		8514000	
7	कटिहार	20	8514000		8514000	
8	जमुई	20	8514000		8514000	
9	भोजपुर	10	4257000		4257000	
10	सीतामढ़ी	10	4257000		4257000	
11	भागलपुर	10	4257000		4257000	
12	किशनगंज	10	4257000		4257000	
13	बांका	10	4257000		4257000	
14	कैमुर	10	4257000		4257000	
15	अरवल	5	2128500			2128500
16	बेगुसराय	10	4257000			4257000
17	बक्सर	5	2128500			2128500
18	दरभंगा	30	12771000			12771000
19	पू0 चम्पारण	20	8514000			8514000
20	गोपालगंज	10	4257000			4257000
21	जहानाबाद	10	4257000			4257000
22	खगड़िया	10	4257000			4257000
23	लखीसराय	10	4257000			4257000
24	मधेपुरा	20	8514000			8514000
25	मधुबनी	20	8514000			8514000
26	मुँगेर	10	4257000			4257000
27	मुजफ्फरपुर	20	8514000			8514000
28	नवादा	40	17028000			17028000
29	पुर्णिया	30	12771000			12771000
30	रोहतास	10	4257000			4257000
31	समस्तीपुर	20	8514000			8514000
32	सारण	10	4257000			4257000
33	शेखपुरा	10	4257000			4257000
34	शिवहर	5	2128500			2128500
35	सिवान	10	4257000			4257000
36	सुपौल	20	8514000			8514000
37	वैशाली	10	4257000			4257000
38	प0 चम्पारण	20	8514000			8514000
	कुल	655	278833500	14899500	108553500	155380500

Er. Birendra Kumar Deepak
Senior Engineer

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/आ0वि0(विविध)–02–19/2011– 1297

प्रेषक,

निदेशक ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली/प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण
सीतामढी/मुजफ्फरपुर/मधुबनी ।

पटना, दिनांक– 26.5.11

विषयः **बिहार विधान सभा की अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण समिति द्वारा दिनांक–25–01–2011 से दिनांक–02–02–2011 तक क्षेत्र भ्रमण के दौरान राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय/छात्रावास के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण समिति द्वारा दिनांक–25–01–2011 से दिनांक–02–02–2011 तक क्षेत्र भ्रमण के दौरान राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय/छात्रावास का निरीक्षण किया गया है। (निरीक्षण टिप्पणी की छाया प्रति संलंग्न)

समिति द्वारा आपके जिला से सबंधित आवासीय विद्यालय/छात्रावास में रख–रखाव की व्यवस्था उचित नहीं रहने एवं पेय जल की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं रहने की शिकायत की गई है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक–01–06–2011 तक विशेष दूत अथवा फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि बिहार विधान की अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण समिति की दिनांक–03–6–2011 को निर्धारित बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जा सके ।

विश्वासभाजन,

26/5/11

निदेशक ।

letter-director

समाहरणालय, कटिहार
(कल्याण प्रशाखा)

पत्रांक– 734 / कल्याण

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

सेवा में,

निदेशक
अनु0 जाति एवं अनु0 जन–जाति,
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

कटिहार, दिनांक– 28 / वीं, मई, 2011.

विषय – **बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति कल्याण समिति द्वारा कटिहार जिला अन्तर्गत राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय निरीक्षण के संबंध में।**

निर्देश :– आपका पत्र संख्या–1274 दिनांक–25.05.2011.

महाशय,

विषयान्तर्गत निर्देशित पत्र के आलोक में कहना है कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, सेमेली, कटिहार में पेयजल की व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में संबंधित विद्यालय के जीर्णोद्वार मद में प्राप्त आवंटन मो0–9,50,000.00 (नौ लाख पचास हजार) रूपये से विद्यालय का जीर्णोद्वार सहित पेयजल की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

उप निदेशक (मु0)
अवर सचिव
विशेष का0 पदा0
सहायक निदेशक (क0)

अनु0 जा0 एवं अनु0 ज0 जा0 कल्याण विभाग, बिहार, पटना
पत्र प्राप्ति
30 MAY 2011
संख्या 2316

बिहार सरकार,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग ।

सं0-4/स्था0सी0ए0-04-08/2011-क- 1264

प्रेषक,

निदेशक, कल्याण

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ ।

पटना-15, दिनांक- 24/5/11

विषय:- विशेष [illegible]पुंज योजना के अन्तर्गत कम्प्युटर प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-16-5-2011 को विधान सभा कल्याण समिति की बैठक में यह सूचना दी गयी है कि पूर्णियाँ जिला में विशेष [illegible]पुंज योजना के द्वारा कम्प्युटर प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन अभीतक उसके बदले छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दु की जाँच कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ फैक्स के माध्यम से इस विभाग को उपलब्ध करायें ताकि अगली बैठक में इसकी सूचना विधान सभा को दिया जा सके ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

24/5/11

विश्वासभाजन,
24/5/11
निदेशक, कल्याण ।

o/c